16-03-2026

अभियुक्त मनोरंजन कुमार, अशोक यादव, अरूण यादव, अनिल कुमार यादव, रईस यादव एवं जर्नादन यादव की हजारी है। अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक देवेन्द्र पासवान की हाजिरी दी गई। अभियोजन साक्षी संख्या 01 के रूप में देवेन्द्र पासवान का साक्ष्य पूर्ण हुआ।

साक्ष्य के ठीक पश्चात अभियुक्तगण की ओर से एक आवेदन दिया गया। आवेदन में कथन किया गया कि गत तिथि दिनांक 13.02.2026 को आदेश हुआ कि अगली तिथि को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत ना करने पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। आज इस मामले में एकमात्र साक्षीं का साक्ष्य हुआ है, जिसने भी अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ देने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 379, 504@34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 25.04.2018 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान मात्र एक अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 देवेन्द्र पासवान, जो इस काण्ड के सूचक एवं कथि पीड़ित है, **ने अपने साक्ष्य की प्रति परीक्षा में कथन किया है कि यह मुकदमा लोगों के बहकावे में हो गया था। प्राथमिकी वर्ष 2013 की है। अभियुक्त को निर्दोष पाकर सुलह कर लिया था। उसके साथ अभियुक्तो ने मारपीट या गाली–गलौज नही किया था। आज उसने स्वेच्छा से सुलह आवेदन दाखिल किया है, जिस पर उसका हस्ताक्षर है।** उभय पक्षो की ओर से आज दिए गए सुलह आवेदन पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को कोई आपत्ति नहीं है। अतः दोनो पक्षो के तर्कों से सहमत होते हुए अभियोजन साक्ष्य बंद कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इन्हे तथा इनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।